उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -3

संख्या -3/38/52-3-2015-रिट(30)/2014

लखनऊ: दिनांक: 05 जनवरी, 2015

अधिसूचना

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (अधिनियम संख्या-2, सन् 2005) की धारा-2 के खण्ड (ग क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करवे, राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तम -3 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित शैक्षिणक संस्थाओं की श्रेणी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु, सक्षम अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं:-

अनुसूची

क्र0 □0	सक्षम प्राधिकारी का नाम	शैक्षणिक संस्था की श्रेणी जो स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित है।
1	2	3
1	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश □□□□	उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिये।
2	प्रमुख सचि , प्राविधिक शिक्षा, शिक्षा विभाग उत्तर उत्तर प्रदेश शासन।	प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के लिये।
3	प्रमुख सचि , व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, उत्तर उत्तर प्रदेश शासन।	व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं के लिये।
4	प्रमुख □□□□, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग उत्तर उत्तर प्रदेश शासन।	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ विद्यालय की सम्बद्धता के लिये।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव ,
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ
विभाग।

<u>संख्या -38(1)/52-3-2015-तददिनांक।</u>

1 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा,शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2 प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3 प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4 प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
5 अध्यक्ष ,राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग , गेट नं0 -4 प्रथम तल, जीवन प्लाजा बिल्डिंग , 5 संसद मार्ग, पटेल चैक , नयी दिल्ली 110001
6 समस्त मण्डलायुक्त , उ0प्र0
7 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
8 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ
9 निदेशक ,अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ
10 समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी , उ0प्र0
11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव ,
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ
विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in